ने इस दौरान शेयर
स्सेदारी 79% से
स्टिक खाद्य चेयरमैन

योजना के प्रावधान ठीक से समझ नहीं आए हैं। दूसरा, एनडीएस के दो-तिहाई हिस्सेदार यानी रेलवे और अर्धसैनिक बल इसे अपनाने में झिझक रहे हैं।

दिनांक 7 अगस्त 2026 (शुक्रवार) | स्थान टाऊन हॉल, कलेक्ट्रेट भवन के पास, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) | समय प्रातः 10.30 बजे

अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा से संपर्क करें या वेबसाइट www.centralbank.bank.in पर जाएं।

L SCIENCES
JAIPUR)
n, Jaipur, India)
ement
lity Courses
ose ?
MS
n Healthcare &
lhi, PGI-Chandigarh
medical
dded Multi
mpus
Jaipur-Delhi
m with countries
& Europe.
eal/cool) hostels
Fridge, Laundry,
Play Ground
vities, Library
:00 PM)
20266 (upto 02:00 PM)
arly
ces.com
121 (Rajasthan)
7412077141

.08.2026
4.00 बजे तक
त्ति की बिक्री
) के तहत जारी की जा रही है।
ों को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा
लेनदार के देय राशि उपार्जनाओं तथा

आरक्षित मूल्य (लाख में) / ईएमडी (लाख में) / बोली वृद्धि राशि (लाख में)
रू 27.00 लाख
रू 2.70 लाख
रू 0.10 लाख
रू 11.04 लाख
रू 1.10 लाख
रू 0.10 लाख
रू 70.55 लाख
रू 7.06 लाख
रू 0.20 लाख
रू 73.10 लाख
रू 7.31 लाख
रू 0.20 लाख
रू 199.63 लाख
रू 20.00 लाख
रू 1.00 लाख

1048

किया जाएगा
ट ई-नीलामी का उपयोग करके पोर्टल
द्वारा सत्यापित ही जाते हैं। जिसमें 2 कार्य
सके ईएमडी राशि हस्तांतरित करनी होगी।
निर्धारित नियमों व शर्तों और निम्नलिखित
प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के
5 के समय सुबह 11.00 बजे वेबसाइट
ww.gmbindia.in देखें। इस नीलामी के
अंतिम तिथि से पूर्व ही बना लें।
य नेशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार

छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक

CHHATTISGARH GRAMIN BANK (Scheduled Bank Owned by Government)

क्षेत्रीय कार्यालय- अम्बिकापुर, कुसुमसरा कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, हनुमान गली, न्यू महामाया रोड, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

Telephone : 6232032901 , 6232033100, Email – adv.ro.amb@cgbank.in

अचल सम्पत्ति ई-नीलामी सूचना : "जहाँ है जैसा है एवं जो कुछ भी है" (नीलामी तिथि 20/08/2026)

अधोहस्ताक्षरकर्ता **छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होने हुए द्वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) एवं धारा 13(4) प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित ऋणी के स्वामित्व वाली सम्पत्ति जिसका अधिग्रहण **छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक** के द्वारा कर लिया गया है, ऋणी से देय राशि वसूली हेतु सम्पत्ति ई-नीलामी, सीलबंद निविदा के रूप में आमंत्रित करता है एवं ऋण ग्रहिताओं को विशिष्टतः और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा निम्न वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिये **छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक** के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणी एवं शाखा की जानकारी	संपत्ति स्वामी का नाम/ संपत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	कब्जा तिथि/ कब्जा का प्रकार	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि/ बोली वृद्धि राशि
शाखाः गुलूरमा ऋणी- श्री अवधेश कुमार गुप्ता पिता रामदास गुप्ता जमानतदार- 1) श्री चंद्र देव दास पति इंदर दास 2) श्री निरंजन प्रसाद गुप्ता पिता रामदास गुप्ता	मौजा- ख. नं. 65/1 , प.ह.नं. 19 , ग्राम- सलाईनगर, आरआई सर्किल- राजापुर , तहसील- मैनपाट, जिला - सुरगुजा (छ.ग.) कुल क्षेत्रफल : 0.162 हे. (भूमि - भवन) **चौहद्दीः उत्तर-** नंदलाल वगैरह की भूमि, **दक्षिण-** राजापुर गाँव की सीमा रेखा, **पूर्व-** सीतापुर-कापू रोड, **पश्चिम-** नंदलाल वगैरह की भूमि।	31/01/2023	07/09/2024 सांकेतिक	₹ 6,65,542.00 (दिनांक 31.01.2023 तक) तथा उक्त तिथि से आगे का ब्याज एवं अन्य प्रभार देय होगा।	₹ 16,66,100/-	₹ 1,46,700/- ₹ 15,000/-
शाखाः पेटला ऋणी- 1) श्री शिव कुमार अग्रवाल पिता श्री श्रीचंद अग्रवाल. संपत्ति स्वामी एवं जमानतदार (1) श्री मोहन अग्रवाल, (2) श्री विनोद अग्रवाल, (3) श्री मनोज कुमार अग्रवाल पिता श्री श्रीचंद अग्रवाल, (4) श्रीमती केशर देवी पति श्री श्रीचंद अग्रवाल, जमानतदार-(5) श्री नारायण नगदेव पिता अमर साय, (6) श्री विद्याधर पैंकरा पिता अभिनाथ पैंकरा .	**संपत्ति के स्वामी- श्री शिव कुमार अग्रवाल पिता श्री श्रीचंद अग्रवाल एवं श्रीमती बुलबुल अग्रवाल पति श्री नवीन कुमार अग्रवाल,** मौजाः ख. नं.707/2, प.ह.नं. 07, ग्राम- सरगा, आरआई सर्किल- सीतापुर, तहसील- सीतापुर, जिला - सुरगुजा (छ.ग.) कुल क्षेत्रफलः 0.085 हे. (भूमि+भवन) **चौहद्दीः उत्तर-** डामर रोड, **दक्षिण-** जनार्दन पैंकरा की भूमि, **पूर्व-** कच्ची रोड, **पश्चिम-** गौकरण पैंकरा की भूमि।	24/05/2024	07/09/2024 सांकेतिक	₹ 5,65,666.00 (दिनांक 24.05.2024 तक) तथा उक्त तिथि से आगे का ब्याज एवं अन्य प्रभार देय होगा।		₹ 17,41,500/-
शाखाः पेटला ऋणी- 2) श्रीमती बुलबुल अग्रवाल पति श्री नवीन कुमार अग्रवाल संपत्ति स्वामी एवं जमानतदार (1) श्री शिव कुमार अग्रवाल (2) श्री मोहन अग्रवाल, (3) श्री विनोद अग्रवाल, (4) श्री मनोज कुमार अग्रवाल पिता श्री श्रीचंद अग्रवाल, (5) श्रीमती केशर देवी पति श्री श्रीचंद अग्रवाल,		01/05/2024	07/09/2024 सांकेतिक	₹ 6,25,812.00 (दिनांक 01.05.2024 तक) तथा उक्त तिथि से आगे का ब्याज एवं अन्य प्रभार देय होगा।		₹ 1,74,200/- ₹ 17,500/-
शाखाः रामानुजगंज श्रीमती संगीता यादव, पति श्री रामाशंकर यादव (प्रोप्राइटर- घरी ऑयल मिल) वार्ड क्रमांक 13, कुम्हारपारा, रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)- 497220	श्रीमती संगीता यादव, पति श्री रामाशंकर यादव की भूमि एवं भवन, प्लॉट/खसरा क्रमांक- 130/7, क्षेत्रफल- 0.036 हेक्टेयर, स्थित ग्राम एवं पोस्ट रामानुजगंज, प.ह.न. 035, तहसील- रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) **सीमाएं (नजरी नक्शा अनुसार): उत्तर-** नाला, **दक्षिण-** मखमल दैवी की भूमि, **पूर्व-** नाली एवं सी.सी. रोड, **पश्चिम-** मखमल दैवी की भूमि।	08/05/2025	17/07/2025 सांकेतिक	₹ 72,66,581.00 (दिनांक 08.05.2025 तक) तथा उक्त तिथि से आगे का ब्याज एवं अन्य प्रभार देय होगा।	₹ 95,34,510/-	₹ 9,53,500/- ₹ 95,500/-
शाखाः बरियों श्रीमती सरस्वती पति श्री रामभरोस सिंह, ग्राम- कुदर, थाना- धौरपुर, ब्लॉक एवं तहसील- लुंड्रा, जिला-सरगुजा (छ.ग.) 497101, गारंटर- श्री सुमर राम पिता सलगु एवं श्री रामभरोस सिंह पिता शिवभोला सिंह.	श्रीमती सरस्वती सिंह (पति श्री रामभरोस सिंह) एवं श्री सुमर राम (पिता श्री सलगु) की भूमि और भवन, प्लॉट सख्या/खसरा सख्या-310 पर स्थित प्लॉट का क्षेत्रफल- 0.105 हेक्टेयर (लेकिन हायवर्टेड क्षेत्रफल- 0.040 हेक्टेयर (405.0 वर्ग मीटर)। ग्राम- कुदर, प.ह.नं.-05, आराजीनम्बर- धौरपुर, ब्लॉक व तहसील- लुंड्रा, जिला- सरगुजा (छ.ग.)। **संपत्ति की सीमाएँ - नजरी नक्शे के अनुसार: उत्तर-** रामभरोस की भूमि, **दक्षिण-** सड़क, **पूर्व-** परदेशी की भूमि, **पश्चिम-** रामभरोस की भूमि।	25.07.2022	15/02/2024 सांकेतिक	₹ 15,48,963.00 (दिनांक 25.07.2022 तक) तथा उक्त तिथि से आगे का ब्याज एवं अन्य प्रभार देय होगा।	₹ 28,22,040/-	₹ 2,82,300/- ₹ 28,500/-
ऋणी- मेसर्स ओएसआर इंजीनियेट्स, साझेदार- 1. श्रीमती उर्मिला सिंह पति धरमनाथ सिंह, 2. श्री रवि सिंह पुत्र धर्मनाथ सिंह, पताः मकान न S4/G22, वसुधरा विहार कॉलोनी, गोधनपुर, अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.) -497001, **शाखाः अंबिकापुर (छ.ग.)**	**संपत्ति स्वामी का नामः श्रीमती उर्मिला सिंह पत्नी श्री** धर्मनाथ सिंह की भूमि, प्लॉट न /खसरा नं. 1378/03, क्षेत्रफल 0.048 हेक्टेयर, स्थित ग्राम एवं पोस्ट- सूरजपुर, प.ह.न. 08, आराजीनम्बर- सूरजपुर, तहसील- सूरजपुर, जिला- सूरजपुर (छ.ग.) **संपत्ति की चौहद्दीः (नजरी नक्शा अनुसार): उत्तर-** साकेत साहू की भूमि, **दक्षिण-** सौरभ डिडिया की भूमि, **पूर्व-** पक्का सड़क, **पश्चिम-** साकेत साहू की भूमि।	17/05/2025	29/10/2025 सांकेतिक	₹ 86,52,229.00 (दिनांक 17.05.2025 की मांग सूचना अनुसार) + आगे का ब्याज एवं प्रभार, वसूली समायोजन के अधीन	₹ 21,91,050/-	₹ 2,19,200/- ₹ 22,000/-

ई-नीलामी की शर्तें:- (1) ई-नीलामी **"जहां है जैसा है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर भार सहित (अगर कोई हो) की जायेगी। बैंक की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है। भार के विवरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता से धरोहर राशि जमा करने के पूर्व सम्पर्क करें। नीलामी बैंक द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता की वेबसाइट **www.baanknet.com** के माध्यम से आन लाईन ई-नीलामी की जावेगी। (2) आरक्षित मूल्य कम की निविदा/आफर स्वीकार नहीं किये जाएगे। (3) **संपत्ति निरीक्षण दिनांक 06/08/2026 से 18/08/2026, सुबह 11.00 से सायं 4.00 बजे तक** संबंधित शाखा प्रबंधक की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। (4) इच्छुक निविदाकर्ता धरोहर राशि (EMD) आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि प्राधिकृत अधिकारी **छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक** के उपरोक्त संबंधित शाखा के पक्ष में देय हो, जो दिनांक **19/08/2026** को सायं **5.00 बजे तक** जमा करें अथवा आनलाईन भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी/फण्ड ट्रांसफर के माध्यम से उपरोक्त वर्णित खातों में किया जा सकता है। (5) सफल खरीददार के पक्ष में विक्रय की पुष्टि सिक्योर्ड क्रेडिटर की पुष्टि के अधीन होगी। (6) ऑन लाईन नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीकर्ताओं के पास डिजिटल हस्ताक्षर होना आवश्यक है। डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने हेतु सर्विस प्रदाता **M/s PSB Alliance (baanknet), Contact No:: 8291220220, Help Line E-mail ID ::- support.baanknet@psballiance.com, Website: https://baanknet.com** पर जिस दिन धरोहर राशि जमा की हो उसी दिन डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने हेतु सर्विस प्रदाता से संपर्क करें। इच्छुक निविदाकर्ता से अनुरोध किया जाता है कि वे स्वयं को वेब पोर्टल **www.baanknet.com** में नाम पंजीकृत करवाए और लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें। (7) ईएमडी जमा करने के पश्चात इच्छुक खरीददार को **दिनांक 19/08/2026** को सायं **5.00 बजे** तक या उससे पहले निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। **अ.** ईएमडी राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर या यूटीआर नं. अगर भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया गया हो तो। **ब.** पेन कार्ड की फोटोकापी/पहचान पत्र एवं पते का प्रमाण पत्र। **स.** इच्छुक खरीददार का नाम, सम्पर्क सूत्र एवं ई-मेल आईडी। **द.** इच्छुक खरीददार के बैंक खाते का पूरा ब्यौरा (नीलामी प्रक्रिया में असफल होने पर टोकन रकम की वापसी)। (8) बिक्री की पुष्टि होने पर सफल खरीददार बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जिसमें ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम भी शामिल है तुरंत जमा करेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत राशि का 15 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। निर्धारित समयावधि में शेष राशि जमा न करने की स्थिति में बोलीकर्ता द्वारा जमा राशि बिना किसी सूचना के जप्त कर ली जावेगी। (9) सफल बोलीकर्ता को स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित सभी खर्च/फीस पंजीयन शुल्क ट्रांसफर शुल्क एवं अन्य तात्कालिक खर्चे इत्यादि वहन करने होंगे। (10) यहां संपत्ति की विक्रय राशि रु. 50 लाख या उससे ऊपर हो उस परिस्थिति में नीलामी खरीददार को विक्रय राशि का 1 प्रतिशत टी.डी.एस. का भुगतान करना होगा तथा टीडीएस सर्टिफिकेट की मूल प्रति बैंक में जमा करनी होगी। (11) अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त संबंधित शाखा से सम्पर्क करें या ईमेल करें **eauction@ccsl.co.in** अथवा सर्विस प्रदाता **M/s PSB Alliance (baanknet), Contact No:: 8291220220, Help Line E-mail ID ::- support.baanknet@psballiance.com, Website: https://baanknet.com** पर संपर्क करें।

सूचना- अंतिम मिनिट एवं सेकेण्ड में बिड करने से बचे। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक एवं सेवा प्रदाता किसी बंद/त्रुटि इंटरनेट बंद/लाईट जाने आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इन स्थितियों से बचने हेतु एवं आपातकालीन परिस्थितियों हेतु निविदाकर्ता से निवेदन है कि वे सभी आवश्यक प्रबंध/विकल्प अपने पास रखें। जैसे कि बैकअप पावर सप्लाई आदि जिससे वे ई-नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें। (नोटः नीलामी की प्रक्रिया डीआईसी के नियम एवं शर्तों के तहत होगी।)

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (र्यों) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के प्रावधानों के लिये आमंत्रित किया गया है।

दिनांकः 04.08.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- अंबिकापुर**

Scanned with OKEN Scanner